राजस्थान सरकार
सांख्यिकी विभाग
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

क्रमांक :– एफ 8(4)34/मूल्य/बीसीएमपी/डीईएस/2008/151 दिनांक :–12 अक्टुबर, 2021

उप/सहायक निदेशक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय,
जिला – समस्त जिले

विषयः– पी.एस.आर. पोर्टल पर भवन निर्माण सामग्री एवं मजदूरी दरों के भाव नियमित रूप से दर्ज करवाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि **भवन निर्माण सामग्री एवं मजदूरी दरों के भाव** आपके जिले के मूल्य संकलन कर्ता द्वारा प्रत्येक **त्रैमास के अन्त में संकलन कर पर्यवेक्षण कर्ता** की चाँज उपरान्त **आगामी माह की 10 तारीख तक** नियमित रूप से त्रैमासिक आधार पर विभागीय पोर्टल PSR पर दर्ज किये जाने होते है। प्रायः यह देखने में आया हैं कि आपके जिले से भाव पोर्टल पर निदेशालय स्तर से निर्देश उपरान्त ही दर्ज किये जाते हैं, जो कि विचारणीय विषय हैं।

आपके जिले द्वारा दर्ज किये जा रहे भावों की राज्य स्तर पर जाँच/निरीक्षण किये जाने पर काफी त्रुटियाँ पाई जा रही हैं। जिससे यह प्रतीत होता हैं कि उक्त भावों को मूल्य संकलनकर्ता द्वारा बाजार से बिना संकलन किये तथा पर्यवेक्षण कर्ता द्वारा उक्त भावों की जांच किये बिना रिपोर्ट प्रमाणित की जाकर पोर्टल पर दर्ज करवाये जा रहे हैं, या संकलित किये जा रहे भावों के संकलन के दौरान आवश्यक दिशा–निर्देशों का पालन नही किया जा रहा हैं। जो इस कार्य के प्रति संबन्धित की उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक हैं। जाँच के दौरान पाई गई त्रुटियों/विसंगतियों में सुधार करने हेतु निदेशालय द्वारा बार–बार दूरभाष/मेल के माध्यम से अवगत करवाना पड़ता हैं। जिसके कारण रिपोर्ट संधारण एवं वेलिडेट करने व रिपोर्ट को NBO, नई दिल्ली को प्रेषित करने में अनावश्यक विलम्ब होता हैं।

आपके **जिले के त्रैमासान्त (जुलाई–सितम्बर, 2021) के उक्त भाव आदिनांक तक दर्ज नही किये गये हैं जो कि 10 अक्टुबर तक आवश्यक रूप से संकलित कर पर्यवेक्षण कर्ता के जाँच उपरान्त पोर्टल पर दर्ज किये जाने अनिवार्य थें।** मूल्य संकलन कर्ता के लिए भवन निमार्ण सामग्री एवं मजदूरी दरों के भावों के संकलन के दौरान आवश्यक रूप से पालन किये जाने वाले दिशा–निर्देश संलग्न कर भिजवाये जा रहें। **साथ ही HSUI हेतु चयनित 14 जिलों द्वारा PSR पोर्टल पर दर्ज भावों के फाईनल होने के उपरान्त ही ब्रीक्स पोर्टल पर भावों को दर्ज किया जावें।**

अतः आपको निर्देशित किया जाता हैं, कि मूल्य संकलनकर्ता एवं मूल्य पर्यवेक्षक को आवश्यक निर्देश प्रदान कर उक्त भावों को जाँच उपरान्त आगामी दिनांक 20 अक्टुबर, 2021 तक पोर्टल पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

12.10.21
(रमेश कुमार यादव)
सयुंक्त निदेशक(मूल्य)

योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005
वेबसाईट– www.plan.rajasthan.gov.in/statistics
दुरभाष 0141–2222740, 2850227
ई मेल – soprice.des@rajasthan.gov.in

भवन निर्माण सामग्री मूल्य एवं मजदूरी दरों के संकलन हेतु अनुदेश–

1 भवन निर्माण सामग्री मूल्य एवं मजदूरी दरों के रूझान का अध्ययन करने के लिए भवन निर्माण सूचकांक तैयार करने के उद्धेश्य से राज्य के सभी 33 जिलों से उक्त सूचनाओं का संकलन करवाया जा रहा है।

2 उक्त सूचनाएँ राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं राज्य के संबंधित विभागों यथा राज. आवासन मण्डल, सा. नि. विभाग द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं। उक्त सूचकांक किसी स्थान पर समान किस्म/आकार के मकान की लागत में विभिन्न समय पर सापेक्ष परिवर्तन को बताता है। यह समंक भवन निर्माणकर्ताओं तथा भवन अनुसंधान संगठनों के लिए भी उपयोगी है।

3 भवन निर्माण सामग्री मूल्य एवं मजदूरी दरों का संकलन त्रैमासिक आधार पर प्रत्येक त्रैमास के अन्तिम दिवस को मूल्य संग्रहण कर्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है। इस दिन संबंधित कार्मिक भवन निर्माण सामग्री के लिए चयनित दुकान/संस्थान पर निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित मात्रा एवं इकाई अनुसार प्रत्येक वस्तु एवं सेवा के प्रचलित भाव एकत्रित करेगा। मूल्य संकलन से पूर्व कार्मिक को चयनित दुकान तथा मानक इकाई के विषय में जानकारी होना आवश्यक है, जिसमें कि उसे भाव एकत्रित करना है। भाव संकलन के पश्चात् पूर्व त्रैमास में प्रेषित सूचना के साथ उसका विश्लेषण करना आवश्यक है। त्रैमास के दौरान यदि भावों में असामान्य वृद्धि/कमी (5प्रतिशत) प्रदर्शित हो तो कारणों का उल्लेख अवश्य करें।

इस प्रकार उक्त समंको के संकलन एवं विश्वसनीयता के प्रति आश्वस्त होने के पश्चात् त्रैमासिक भाव प्रत्येक त्रैमास की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से निदेशालय के पी.एस.आर. पोर्टल पर दर्ज किये जाने होते है। जिला स्तर पर भवन निर्माण सामग्री मूल्य एवं मजदूरी दरों का एक स्थायी रजिस्टर भी संधारित किया जाना है, जिसका निरीक्षण संबंधित सहायक/उप निदेशक एवं निदेशालय से समय–समय पर निरीक्षण हेतु आने वाले अधिकारियों द्वारा किया जावेगा। निदेशालय स्तर पर त्रैमासिक भावों की प्राप्ति के पश्चात् यदि कोई विसंगति पायी जाती है तो संबंधित जिला अधिकारियों को अवगत करवायी जायेगी। उक्त विसंगति का निराकरण तीन दिवस में किया जाना आवश्यक होगा।

सामान्य रूप से पायी जाने वाली विसंगतियाँ–

1. कुछ जिलों से त्रैमासिक भावों असामान्य देरी से पोर्टल पर दर्ज किये जाते है, उक्त भावों को निर्धारित तिथि(प्रत्येक त्रैमास की 10 तारीख) तक अवश्य पोर्टल पर दर्ज करावें।
2. एक वस्तु की अलग–अलग किस्में जिले में उपलब्ध नहीं हो तो, अनुपलब्ध किस्म के सम्मुख उपलब्ध नहीं (NA) अंकित करें।

मदवार विशेष विवरण–

1. **ईंटें**– 1000 ईंटों की तीन किस्मों के अलग–अलग भाव दर्ज किये जाने हैं।
2. **रेत (बजरी)**– तीनों किस्म की रेत का मूल्य यदि घन फीट में बताया जाता है तब उसे घन मीटर में परिवर्तित कर दर्शाना है। अव्वल किस्म की रेत का मूल्य मध्यम एवं निम्न किस्म की रेत के मूल्य से अधिक होगा।

   एक घन मीटर = 35.3147 घन फीट
3. **पत्थर की रोड़ी**– तीनों किस्मों की रोड़ी 15 एम. एम., 20 एम. एम. तथा 40 एम. एम. के भाव अलग–अलग घनमीटर में दर्शायें जाने है।

   एक घनमीटर = 35.3147 घन फीट
4. **चूना**– आजकल कुछ जिलों में चूना उपलब्ध नहीं होता है। उन जिलों में मद के सामने (NA) दर्ज करें।
5. **इमारती लकडी**– इस श्रेणी में छ प्रकार की इमारती लकड़ियों के भाव दर्ज किये जाने है। अन्य किस्म की लकड़ी में स्थानीय लकड़ी का उल्लेख किया जाना है। भाव घनमीटर में दर्शाये जाने हैं।

   एक घन मीटर = 35.3147 घन फीट
6. **सीमेण्ट**– सीमेण्ट के भाव मै. टन में दर्शाये जाने हैं। एक बैग में 50 कि.ग्रा. वजन पाया जाता है। सीमेण्ट के भाव भेजते समय ब्राण्ड़ का उल्लेख भी करें।

   एक मै. टन = 20 बैग
7. **इस्पात**– लौह–इस्पात की सात किस्मों के भाव विभिन्न लक्षण एवं माप के अनुसार दर्ज किये जाने है। सभी 29 मदों के भाव मै. टन में दर्शाये जाने हैं।
8. **फर्श के पत्थर की स्लैब**– इस मद में 100 वर्गमीटर के लिए भाव दर्ज किये जाने है।

   100 वर्ग मीटर = 1076.40 वर्ग फीट

9. **एस्बेस्टॉस सीमेंट की चादरें**– एस्बेस्टॉस सीमेंट की चादरें दुकानों पर प्रायः 10′ x 3½′ की साईज में उपलब्ध होती है। एक शीट का वजन 40 कि.ग्रा. के बराबर होता है। इनके भाव मै. टन में दर्ज किये जाने है।

   इस प्रकार 10′ x 3½′ साईज की 25 चादरें एक मै. टन के बराबर होगी। अतः 25 चादरों का भाव दर्ज किया जाना है।

10. **टाईलें**– टाईलों को किस्म अनुसार 1000 टाईलों के मूल्य अंकित किये जाने है।

11. **रोगन एवं वार्निश**– इस मद के अन्तर्गत प्रत्येक मद का प्रपत्र में दर्शायी इकाई के अनुसार लीटर/कि.ग्रा. भाव दर्ज किये जाने है।

12. **चादर कॉच**– दरवाजें एवं खिड़कियों के काम में लिया जाने वाला सफेद कॉच 4 एम. एम. मोटाई के भाव प्रति वर्ग मीटर दर्ज किये जाने है।

    एक वर्ग मीटर = 10.764 वर्ग फीट

13. **सफाई पात्र**– उक्त मद के बिन्दु स्वतः स्पष्ट है। साईज एवं किस्म के अनुसार ही भाव दर्ज किये जाने है।

14. **इलेक्ट्रिक फिटिंग**– इस मद में भी साईज/इकाई/मात्रा के अनुसार ही भाव दर्ज किये जाने है।

15. **भवन निर्माण कामगारों की मजदूरी दरें**– प्रत्येक त्रैमास के अन्तिम दिवस को कामगारों के वर्गानुसार प्रचलित मजदूरी दरें दर्ज की जानी हैं।